







# IV

## सरकारी वित्त

4.1 वर्ष 2001-02 के दौरान कंपनी गतिविधियों और आयात मांग में निरन्तर मंदी बनी रहने के कारण राजस्व वसूली में हुई कमी से केन्द्र सरकार के वित्त पर दबाव आ गया। इसके परिणामस्वरूप, योजनेतर व्यय को सीमित रखने में कुछ सफलता प्राप्त करने के बावजूद, घाटा संकेतकों ने अपने बजटीय स्तरों से खिसकने की स्थिति दर्ज की। 2001-02 के दौरान सकल

राजकोषीय घाटा पूर्ववर्ती वर्ष की तरह सकल देशी उत्पाद (सदेउ) (संशोधित अनुमान) के 5.7 प्रतिशत पर रहा, हालांकि यह 4.7 प्रतिशत के बजटीय अनुमानों से अधिक है। राज्यों के वित्त के संबंध में उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि इन राज्यों का 2001-02 में 4.5 प्रतिशत पर समेकित सकल राजकोषीय घाटा (संशोधित आकलन) भी 3.8 प्रतिशत के बजटीय अनुमानों से

चार्ट IV.1 : राजकोषीय संकेतक




अधिक रहा<sup>1</sup>। तदनुसार, केन्द्र और राज्यों-दोनों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2000-01 के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 2001-02 में 9.9 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटे में सभी स्तरों पर स्थिति में गिरावट आने से यह आवश्यक हो गया कि बाजार उधारों का अधिकाधिक सहारा लिया जाए जिसके तहत केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 69.4 प्रतिशत और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के 15.2 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ। राज्यों ने 2001-02 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सामान्यतः रिजर्व बैंक से अधिक अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लिया। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त ऋण बढ़कर मार्च 2002 के अंत में सकल देशी उत्पाद के 69.9 प्रतिशत हो गया, जबकि मार्च 2001 के अंत में यह 66.9 प्रतिशत था। केन्द्र और राज्यों की आकस्मिक देयताएं मार्च 2000 के अंत के सकल देशी उत्पाद के 11.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 12.2 प्रतिशत हो गईं (परिशिष्ट सारणियां तथा चार्ट IV.1)।

### केन्द्र सरकार के वित्त, 2001-02

#### समग्र स्थिति

4.2 केन्द्रीय बजट 2001-02 का लक्ष्य था राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे में कटौती करके उन्हें 2000-01 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः सकल देशी उत्पाद के 4.7 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत पर लाते हुए राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करना। परंतु वास्तव में 2001-02 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बजटीय स्तरों के संदर्भ में राजस्व और अपनिवेश में आए भारी अंतर के साथ योजना व्ययों में हुई वृद्धि से राजकोषीय दबाव बढ़ा, जो घाटे के प्रमुख संकेतकों में परिलक्षित हुआ। सकल राजकोषीय घाटा (सराघा) सांकेतिक अर्थ में बजटीय स्तर से 13.2 प्रतिशत अधिक हुआ। संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा बजटीय स्तर से 16.4 प्रतिशत अधिक रहा तो प्राथमिक घाटा बजटीय अनुमानों से छह गुना अधिक रहा। राजस्व घाटा सकल राजकोषीय घाटे के 69.6 प्रतिशत रहा, जबकि बजटीय अनुमान में यह 67.8 प्रतिशत था (सारणी 4.1, चार्ट IV.2 और परिशिष्ट सारणी IV.1)।



#### समग्र प्राप्तियां

4.3 केन्द्र के वित्त पर दबाव मुख्यतः समस्त प्रमुख करों जैसे कि, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर, आय कर तथा कंपनी कर, की वसूली तथा कंपनी कर, की वसूली में कमी के कारण आया (सारणी 4.2)। करेतर राजस्व ने बजटीय अनुमान से 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसका मुख्य कारण है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से उच्चतर लाभांश और लाभ का होना (रिजर्व बैंक से अधिशेष राशि के अंतरण सहित); तथापि, कर राजस्व में भारी कमी आने के कारण राजस्व प्राप्तियों में संशोधित अनुमान और बजट अनुमान में 19,173 करोड़ रुपये (8.3 प्रतिशत) का अंतर आया, जो सकल व्ययों में बचत द्वारा किये गये प्रति संतुलन से अधिक है। केन्द्र के सकल कर - सकल देशी उत्पाद अनुपात में नब्बे के दशक में निरंतर रूप से गिरावट आई है। ऐसा अनुमान है कि वह 2000-01 के 9.0 प्रतिशत से और गिरकर 2001-02 में 8.6 प्रतिशत रह जायेगा, जबकि बजटीय

### सारणी 4.1 : केन्द्र के घाटा संकेतक

(करोड़ रुपये)

मद	2001-02 (संअ)	2001-02 (बअ)	2000-01	घट-बढ़ (बजट अनुमान पर संशोधित अनुमान)	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
सकल राजकोषीय घाटा	1,31,721 (5.7)	1,16,314 (4.7)	1,18,816 (5.7)	15,409	13.2
राजस्व घाटा	91,733 (4.0)	78,821 (3.2)	85,234 (4.1)	12,912	16.4
सकल प्राथमिक घाटा	24,464 (1.1)	4,014 (0.2)	19,502 (0.9)	20,450	509.5

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

संअ : संशोधित अनुमान


बअ : बजट अनुमान

<sup>1</sup> इस पूरे अध्याय में वर्ष 2000-01 और आगे के आंकड़े अनंतिम हैं तथा 26 राज्यों (28 राज्यों में से) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बजट से संबंधित है, जिनमें से दो पर लेखानुदान मांग है।

सारणी 4.2 केन्द्र की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2001-02 (संअ)	2001-02 (बअ)	2000-01	बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में घटबढ़	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
कुल प्राप्तियां	3,64,436 (15.8)	3,75,223 (15.2)	3,25,611 (15.6)	-10,787	-2.9
राजस्व प्राप्तियां	2,12,572 (9.2)	2,31,745 (9.4)	1,92,624 (9.2)	-19,173	-8.3
कर राजस्व (निवल)	1,42,348 (6.2)	1,63,031 (6.6)	1,36,916 (6.6)	-20,683	-12.7
करेतर राजस्व	70,224 (3.1)	68,714 (2.8)	55,708 (2.7)	1,510	2.2
पूंजीगत प्राप्तियां	1,51,864 (6.6)	1,43,478 (5.8)	1,32,987 (6.4)	8,386	5.8
जिसमें से : विनिवेश	5,000	12,000	2,125	-7,000	-58.3
<b>ज्ञापन मदें</b>					
कंपनी कर	39,059 (1.7)	44,200 (1.8)	35,696 (1.7)	-5,141	-11.6
आय कर	34,438 (1.5)	40,600 (1.6)	31,764 (1.5)	-6,162	-15.2
सीमा शुल्क	43,170 (1.9)	54,822 (2.2)	47,542 (2.3)	-11,652	-21.3
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	74,520 (3.2)	81,720 (3.3)	68,526 (3.3)	-7,200	-8.8
टिप्पणी : 1. ज्ञापन मदें सकल आधार (केन्द्रीय करों में राज्यों के अंश सहित) पर हैं।			संअ : संशोधित अनुमान		
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।			बअ : बजट अनुमान		



अनुमान के अनुसार यह सुधरकर 9.0 प्रतिशत होना चाहिए था (चार्ट IV.3 और परिशिष्ट सारणी IV.3)।

4.4 ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों की वसूली की राशि 15,164 करोड़ रुपये के बजटीय स्तर से थोड़ी ही कम 15,143 करोड़ रुपये रही। विनिवेश कार्यक्रम ने 2001-02 के दौरान कुछ गति पकड़ी, फिर भी बिक्री से हुई वास्तविक आय लक्ष्य राशि से कम है। वर्ष 2001-02 के 12,000 करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य की तुलना में विनिवेश से हुई सकल आय की राशि 5,000 करोड़ रुपये की है जो पूर्ववर्ती वर्ष में जुटाई गई 2,125 करोड़ रुपये की राशि से काफी अधिक है।

4.5 राजस्व प्राप्तियों की व्याप्ति और मात्रा का विस्तार करके राजकोषीय समेकन करना, अन्य बातों के साथ-साथ कर प्रणाली की पुनर्संरचना करना अनिवार्य है (बाक्स IV.1)।

सकल व्यय

4.6 सकल व्यय बजट अनुमानों से 10,787 करोड़ रुपये कम हुआ। यह कटौती योजनेतर व्यय में 3.6 प्रतिशत ब्याज भुगतान (5,043 करोड़ रुपये), रक्षा (5,000 करोड़ रुपये) और राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को अनुदान (1,544 करोड़ रुपये) में की गयी। दूसरी ओर, आर्थिक सहायता पर व्यय में 772 करोड़ रुपये की वृद्धि

**बाक्स IV.1**

**राजकोषीय सशक्तिकरण और राजस्व को अधिकतम करना**

भारत में राजकोषीय समेकन की कुंजी बजट में राजस्व प्राप्तियों की मात्रा और स्तर बढ़ाकर राजकोषीय सशक्तिकरण में निहित है। इसके लिए कर और करेतर राजस्व दोनों वृद्धि करने के उपायों की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाता है कि सरल कर-कानूनों से न केवल अनुपालन और प्रशासन की लागत ही कत होती है, बल्कि इससे राजस्व के बढ़ने की संभावना भी होती है। इस कारण भारत ने 1991-92 से कर-प्रणाली की उल्लेखनीय रूप से पुनर्संरचना करने की शुरुआत की है, जिससे कर दरों को उल्लेखनीय रूप से युक्तिसंगत किया गया और उनमें कमी करके उन्हें विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तुलनीय स्तर पर लाया गया। तथापि, कर-सदेउ में नियमित गिरावट जारी रही। कृषि क्षेत्र कर दायरे के बाहर रहा और तेजी से बढ़ रहे सेवा-क्षेत्र पर पर्याप्त कर नहीं लगाया गया। सेवाओं पर कराधान बिक्री और उत्पाद करों का अपकर्षक स्वरूप कम करना चाहिए क्योंकि उच्च आय और व्यय समूह में इसका खपत समूह में तुलनात्मक दृष्टि से काफी अंश रहता है।

राज्यों के बीच की कर प्रतियोगिता से बिक्री कर की राजस्व उत्पादकता कम हुई है। इस संदर्भ में, राज्य सरकारों ने एक करार के माध्यम से मूल्यवर्धित कर (वीएटी) लागू करने की पृष्ठभूमि में बिक्री कर की एकसमान दर लगाने का निर्णय लिया गया है। वीएटी प्रणाली के परिवर्तन को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक हुआ है। शहरी संपत्ति कर-राजस्व का प्रभावी स्रोत होता है, जिसका अभी पूर्ण दोहन नहीं हुआ है। राजस्व उत्पादकता और कर-मशीनरी में सुधार के लिए संपत्ति कर लगाने के नियंत्रक कानूनों में यथोचित रूप से संशोधन करना आवश्यक है। कृषि कर, व्यवसाय कर और भूमि आधारित ऐसे कुछ कर हैं जो राज्य लागू कर सकते हैं, परंतु या तो इनका अभी तक दोहन नहीं किया है या कम दोहन किया है। स्थानीय सरकारों को ऐसे कुछ करों पर अधिभार लगाने के अधिकार दिए जा सकते हैं।

करेतर राजस्व के मामले में बदलते मानदण्डों की आवश्यकता है। विभागीय उपक्रमों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर उपयोगकर्ता प्रभार निर्धारित करने के ढांचे की समीक्षा करना और लागत वसूली के लिए प्रभावी नीति बनाना आवश्यक है। उपयोगकर्ता प्रभार के निविष्टि लागत के प्रति सूचकांक संबद्ध किया जा सकता है और उनका आवधिक रूप से संशोधन करने की प्रक्रिया स्वतः सक्रिय होनी चाहिए। सुधारों का एक मुख्य क्षेत्र है - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और सांविधिक कंपनी प्रतिष्ठानों में किये गये निवेशों पर सरकार को मिलनेवाले कम प्रतिलाभ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध-तंत्र को व्यावसायिक रूप देने की आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। निरंतर रूप से घाटे में चलनेवाले ऐसे उद्यमों का या तो निजीकरण करना आवश्यक है या उन्हें बंद करना, ताकि अन्य सार्वजनिक उद्यमों की लाभप्रदता संसाधन निर्माण का प्रमुख स्रोत बन सकती है और उससे बजट समर्थन मिल सकता है। रेलवे सबसे बड़ा विभागीय उपक्रम होने के कारण रेलवे भूमि और स्थान का वाणिज्यिक उपयोग करके, अतिरिक्त दूर संचार क्षमता पट्टे पर देकर, रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देकर, अनावश्यक आर्थिक सहायता कम करके, सूचकांक फार्मूले के अनुसार किरायों में नियमित संशोधन करके राजस्व बढ़ाया जा सकता है और इसे वाणिज्यिक आधार पर चलाने के प्रगामी प्रयास किए जाने चाहिए (भारत सरकार 2001)।

संदर्भ

1. भारत सरकार (2000), "ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट"।
2. भारत सरकार (2001), "दि इंडियन रेलवेज रिपोर्ट 2001 : पालिसी फॉर रिइनवेंशन एण्ड ग्रोथ"।
3. तान्जी, वीटो एण्ड हॉवेल जी (2001) "टेक्स पालिसी फार डवलपिंग कन्ट्रीज इकानामिक इश्यूज सं. 27, आइएमएफ।

हुई। योजना व्यय में बजट स्तर से 4.3 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई (सारणी 4.3)। वर्ष 2001-02 का 1,27,856 करोड़ रुपये का केन्द्रीय

योजना परिव्यय का संशोधित अनुमान 1,30, 181 करोड़ रुपये के बजट स्तर से थोड़ा-ही कम है।

**सारणी 4.3 : केन्द्र का सकल व्यय**

(करोड़ रुपये)


मद	2001-02(संअ)	2001-02(बअ)	2000-01	घटबढ़ बअ की तुलना में संअ (2001-02)	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
कुल व्यय (1+2=3+4)	3,64,436 (15.8)	3,75,223 (15.2)	3,25,611 (15.6)	-10,787	-2.9
1. योजनेतर व्यय जिसमें से : ब्याज भुगतान	2,65,282 (11.5)	2,75,123 (11.1)	2,42,942 (11.6)	-9,841	-3.6
रक्षा	1,07,257 (4.6)	1,12,300 (4.5)	99,314 (4.8)	-5,043	-4.5
आर्थिक सहायता विनिवेश	57,000 (2.5)	62,000 (2.5)	49,622 (2.4)	-5,000	-8.1
	30,523 (1.3)	29,801 (1.2)	26,842 (1.3)	722	2.4
2. योजना व्यय	99,154 (4.3)	95,100 (3.8)	82,669 (4.0)	4,054	4.3
3. राजस्व व्यय	3,04,305 (13.2)	3,10,566 (12.5)	2,77,858 (13.3)	-6,261	-2.0
4. पूंजी व्यय	60,131 (2.6)	64,657 (2.6)	47,753 (2.3)	-4,526	-7.0

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सदेउ के प्रतिशत हैं।

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

4.7 केन्द्र के सकल व्यय का संरचनात्मक स्वरूप हाल के वर्षों में ब्याज भुगतान और पूंजी परिव्यय के बीच के मार्जिन शेरों में पारस्परिक बदलाव के कारण व्यापक रूप में अपरिवर्तित रहा है (चार्ट IV.4)।




#### वित्तपोषण

4.8 बाजार उधार केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बना रहा। राजकोषीय वर्ष 2001-02 में केन्द्र सरकार के निवल बाजार उधारों से सकल राजकोषीय घाटे के 69.4 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह प्रतिशत 61.4 और वर्ष 1990-91 में मात्र 17.9 प्रतिशत था। अन्य देयताओं ने, जिनमें अल्पबचत, राज्य भविष्य निधियाँ, विशेष जमाराशि आदि शामिल हैं, सकल राजकोषीय घाटे के 26.1 प्रतिशत का वित्तपोषण किया, जबकि बजट में इसका स्तर 31.9 प्रतिशत का था। सकल राजकोषीय घाटे के शेष अंश का वित्तपोषण नकदी शेष के आहरण और बाह्य सहायता से हुआ।

4.9 1990 के दशक में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधार के बढ़ते अंश का मुख्य कारण है तदर्थ खजाना बिलों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करना तथा अल्प बचतों की लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन। फलस्वरूप, वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के हिस्से में भी कभी आई (चार्ट IV.5 और परिशिष्ट सारणी IV.4)।

4.10 राहत बाण्ड जो आंतरिक ऋण के अंश होते हैं, राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। राहत बाण्डों के अंतर्गत 2001-02 (संअ) में 4,500 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति हुई और 2002-03 के बजट अनुमान के अनुसार 6,500 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति होगी। राहत बाण्डों पर ब्याज दर पिछली श्रृंखला (राहत बाण्ड, 1999) के 9 प्रतिशत से घटाकर



नई श्रृंखला (राहत बाण्ड, 2001) में 8.5 प्रतिशत की गई है। केन्द्रीय बजट 2002-03 में राहत बाण्ड संबंधी ब्याज दर में 50 आधार अंकों की और कटौती की गयी है। बजट 2002-03 में ऐसे बाण्डों में निवेश पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की उच्चतम सीमा लगाई गई है, परंतु सेवानिवृत्त हो रहे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस सीमा से छूट दी गई है।

4.11 ब्याज लागत के अनुसार राजकोषीय अंतर का वित्तपोषण करने के कई अन्य उपायों की तुलना में बाजार उधार बेहतर विकल्प है। इसका कारण यह है कि अल्प बचत और भविष्य निर्वाह निधि के माध्यम से जुटायी गयी पर्याप्त राशि की लागत दिनांकित प्रतिभूति के माध्यम से जुटाये गये बाजार उधार की लागत से अधिक होती है। अल्प बचत और भविष्य निधियाँ जो लोक लेखा का प्रमुख भाग होता है पर औसतन ब्याज दर 1991-92 में 11.24 प्रतिशत, 1996-97 में 13.88 प्रतिशत और 2001-02 में 11.36 प्रतिशत थी, जबकि बाजार ऋणों की दर क्रमशः 10.43 प्रतिशत, 11.66 प्रतिशत और 11.32 प्रतिशत थी (सारणी 4.4)। यह उल्लेखनीय है कि ऊपर दी गयी अल्प बचत और भविष्य निधि की ब्याज दरों में कर-रियायतों को गणना में नहीं लिया गया है। यदि इनके प्रभाव को भी शामिल किया जायेगा, तो सरकार की लागत और बढ़ जायेगी।

4.12 2001-02 के राजकोषीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने 28,892 करोड़ रुपये का भार वहन किया/ निजी स्थापन लिया। अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के साप्ताहिक औसत उपयोग में क्रमिक गिरावट आई जो प्रथम तिमाही के 10,391 करोड़ रुपये से गिरकर अंतिम तिमाही में 4,552 करोड़ रुपये का रह गया (चार्ट IV.6)। फिर भी 2001-02 में साप्ताहिक औसत उपयोग की राशि 7,138 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 4,881 करोड़ रुपये की तुलना में ज्यादा थी। राजकोषीय वर्ष 2001-02 के अंत में बकाया

सारणी 4.4 : बकाया देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	अन्य बाध्यताएं	प्रारक्षित निधियाँ	देशी देयताएं	विदेशी ऋण*	लोक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991-92	7.35	10.43	11.24	0.78	0.63	8.44	8.58	8.46
1992-93	7.84	10.44	10.86	0.79	0.68	8.67	9.55	8.76
1993-94	7.83	11.33	13.36	0.54	0.72	9.18	8.81	9.14
1994-95	7.80	11.94	14.10	0.46	0.90	9.30	8.50	9.22
1995-96	8.32	11.76	12.50	0.78	0.87	9.36	8.67	9.29
1996-97	8.85	11.66	13.88	0.59	1.12	9.96	8.24	9.81
1997-98	9.08	12.04	13.20	0.58	1.34	9.90	7.58	9.71
1998-99	10.24	13.09	11.57	2.14	1.05	10.17	7.89	10.01
1999-00	10.72	13.34	10.62	0.68	0.80	10.79	7.87	10.61
2000-01	10.66	12.15	11.86	0.67	0.71	9.99	7.67	9.86
2001-02	10.21	11.32	11.36	0.44	0.19	9.26	6.55	9.11

\* विदेशी ऋण परम्परागत विनिमय दरों पर

अर्थोपाय अग्रिम की राशि, जो 5,176 करोड़ रुपये थी, पिछले राजकोषीय वर्ष के 5,395 करोड़ रुपये की बकाया राशि की तुलना में कम थी।

4.13 194-95 से राजकोषीय लक्ष्यों के प्रबंधन में गिरावट आ रही है, जो कि बजटीय अनुमानों और वास्तविक प्रप्तियों के अंतरों में परिलक्षित होती है। वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की लागत और अन्य बाध्यताओं के मद्देनजर, बाजार उधारियों पर निर्भरता में वृद्धि अनिवार्य हो गई है (चार्ट IV.7)।



केन्द्र सरकार का बजट : 2002-03

4.14 2002-03 के केन्द्रीय बजट में निर्धारित राजकोषीय औचित्य की नीति में राजस्व प्राप्तियों में 15.3 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि प्राप्त

करना है जबकि कुल व्ययों में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की आशा की गयी है। राशि की दृष्टि से 1,35,524 करोड़ रुपये का सकल राजकोषीय घाटा, 2001-02 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.9 प्रतिशत उच्च स्तर पर रहा। 2001-02 की तुलना में, 95,377 करोड़ रुपये पर अनुमानित राजस्व घाटा जहाँ 4.0 प्रतिशत ज्यादा है, वहीं 18,134 करोड़ रुपये पर अनुमानित प्राथमिक घाटा 25.9 प्रतिशत कम है। सकल देशी उत्पाद की दृष्टि से, सभी प्रमुख घाटा संकेतकों को 2001-02 के स्तरों से केन्द्रीय बजट में निम्नतर दर्शाया गया है (सारणी 4.5)।

व्यय अनुमान

4.15 राजस्व व्ययों में 11.9 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जो 1990 के दशक में दर्ज 14.5 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि की दर से भी कम होगी (सारणी 4.6)।



**सारणी 4.5 : केन्द्र की राजकोषीय स्थिति - 2002-03**

(करोड़ रुपये)

मद	2002-03 (बअ)	2001-02 (संअ)	संअ की तुलना में बअ में विचलन	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल प्राप्तियां/ व्यय	4,10,309 (16.0)	3,64,436 (15.8)	45,873	12.6
राजस्व प्राप्तियाँ	2,45,105 (9.6)	2,12,572 (9.2)	32,533	15.3
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1,65,204 (6.5)	1,51,864 (6.6)	13,340	8.8
राजस्व व्यय	3,40,482 (13.3)	3,04,305 (13.2)	36,177	11.9
पूँजीगत व्यय	69,827 (2.7)	60,131 (2.6)	9,696	16.1
सकल राजकोषीय घाटा	1,35,524 (5.3)	1,31,721 (5.7)	3,803	2.9
राजस्व घाटा	95,377 (3.7)	91,733 (4.0)	3,644	4.0
सकल प्राथमिक घाटा	18,134 (0.7)	24,464 (1.1)	-6,330	-25.9

**टिप्पणी :** कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं

**सारणी 4.6 : केन्द्र का कुल व्यय**

(करोड़ रुपये)

मद	2002-03 (बअ)	2001-02 (संअ)	संअ पर बअ का विचलन	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल व्यय (1+2=3+4)	4,10,309 (16.0)	3,64,436 (15.8)	45,873	12.6
1. गैर योजना व्यय, जिसमें से ब्याज भुगतान	2,96,809 (11.6)	2,65,282 (11.5)	31,527	11.9
रक्षा	1,17,390 (4.6)	1,07,257 (4.7)	10,133	9.4
आर्थिक सहायता	65,000 (2.5)	57,000 (2.5)	8,000	14.0
2. योजना व्यय	39,801 (1.6)	30,523 (1.3)	9,278	30.4
3. राजस्व व्यय	1,13,500 (4.4)	99,154 (4.3)	14,346	14.5
4. पूँजीगत व्यय	3,40,482 (13.3)	3,04,305 (13.2)	36,177	11.9
	69,827 (2.7)	60,131 (2.6)	9,696	16.1



**टिप्पणी :** कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं

4.16 गैर-योजना राजस्व व्ययों में 11.4 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है। जो राजस्व व्ययों का 79.3 प्रतिशत होगा। गैर योजना राजस्व व्ययों में मुख्यतः ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय तथा आर्थिक सहायताएं शामिल हैं तथा वे गैर-योजना राजस्व व्ययों का 74.3 प्रतिशत है तथा राजस्व प्राप्तियों का 81.9 प्रतिशत खपाते हैं। वर्ष 2001-02 के 50.5 प्रतिशत की तुलना में, 2002-03 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 47.9 प्रतिशत पहले ही खपा लेगा।

4.17 सार्वजनिक निवेश में कमी के माध्यम से होनेवाले राजकोषीय समायोजन की प्रवृत्ति को पलटने के लिए, पूँजी संवितरण को 16.1 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया; जिसमें से पूँजीगत परिव्यय 2001-02 के संशोधित अनुमानों से 17.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है (चार्ट IV.8)।

4.18 2002-03 के लिए केंद्रीय योजनागत परिव्यय का बजट भी 2001-02 के संशोधित अनुमानों से 12.7 प्रतिशत ऊंचा रखा गया है। केंद्रीय योजनागत परिव्यय के लिए प्रदान 66,871 करोड़ रु. (10.9 प्रतिशत ज्यादा) की बजटीय सहायता वित्त पोषण का 46.4 प्रतिशत हिस्सा थी (पिछले वर्ष यह 47.1 प्रतिशत थी)। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईबीआर) बजट 77,167 करोड़ रु. (14.2 प्रतिशत की वृद्धि) रखा गया जो कि योजनागत वित्तपोषण का 53.6 प्रतिशत हिस्सा है (2001-02 में 52.9 प्रतिशत था)। क्षेत्र-वार आबंटन दर्शाता है कि मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र (25.2 प्रतिशत), परिवहन क्षेत्र (22.2 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाओं (20.4 प्रतिशत) को गया है।

**चार्ट IV.8 : केन्द्र सरकार का व्यय**



राजस्व अनुमान : 2002-03

4.19 बजट में अनुमान लगाया गया कि 2002-03 के लिए राजस्व प्राप्तियां 2,45,105 करोड़ रु. होंगी, जो 2001-02 के संशोधित अनुमानों से 15.3 प्रतिशत (32,533 करोड़ रु.) ज्यादा रहीं। वृद्धिशील राजस्व प्राप्तियों में, 94.1 प्रतिशत करों (30,617 करोड़ रु.) और बकाया 5.9 प्रतिशत गैर-कर राजस्व (1,916 करोड़ रु.) से प्राप्त होगा। संशोधित अनुमानों की तुलना में सकल कर-राजस्व 39,107 करोड़ रु. या 19.9 प्रतिशत ज्यादा होकर 2,35,800 करोड़ रु. हो जाएगा (सारणी 4.7)।

सारणी 4.7 : केंद्र के राजस्व अनुमान

(करोड़ रुपये)


मद	2002-03 (बअ)	2001-02 (संअ)	संअ पर बअ का विचलन	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल प्राप्तियां	4,10,309 (16.0)	3,64,436 (15.8)	45,873	12.6
राजस्व प्राप्तियां	2,45,105 (9.6)	2,12,572 (9.2)	32,533	15.3
कर-राजस्व (निवल)	1,72,965 (6.8)	1,42,348 (6.2)	30,617	21.5
सकल कर-राजस्व	2,35,800 (9.2)	1,96,693 (8.6)	39,107	19.9
<i>जिनमें से :</i>				
कंपनी कर	48,616 (1.9)	39,059 (1.7)	9,557	24.5
आयकर	42,524 (1.7)	34,438 (1.5)	8,086	23.5
सीमा शुल्क	45,193 (1.8)	43,170 (1.9)	2,023	4.7
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	91,433 (3.6)	74,520 (3.2)	16,913	22.7
पूंजीगत प्राप्तियां	1,65,204 (6.5)	1,51,864 (6.6)	13,340	8.8

सूचना : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इनका प्रतिशत है।

4.20 बजट में प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से अधिभार सहित 6,000 करोड़ रु. के राजस्व लाभ की आशा की गयी है जबकि अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से 4,500 करोड़ रु. के राजस्व लाभ की। कर-राजस्व में बढ़ोत्तरी का मुख्य अंश केंद्रीय उत्पाद शुल्क (16,913 करोड़ रु.), कंपनी कर (9,557 करोड़ रु.), आय कर (8,086 करोड़ रु.) और सीमा-शुल्क (2,023 करोड़ रु.) से प्राप्त किए जाने का अनुमान है। 1,72,965 करोड़ रु. का निवल कर-राजस्व (राज्यों का निवल अंश) पिछले वर्ष की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2002-03 के दौरान गैर-कर-प्राप्तियों में 2.7 प्रतिशत (1,916 करोड़ रु.) की वृद्धि होकर 72,140 करोड़ रु. होने का अनुमान है (चार्ट IV.9)।

4.21 2001-02 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,65,204 करोड़ रु. की पूंजीगत प्राप्तियों में 13,340 करोड़ रु. (8.8 प्रतिशत) की वृद्धि की आशा है। विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां 2001-02 के संशोधित अनुमानों के 5,000 करोड़ रु. की तुलना में 12,000


चार्ट IV.9 केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों की संरचना



करोड़ रु. होने की संभावना है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से (विनिवेश और ऋणों की वसूली) पूंजीगत प्राप्तियों में 18.0 प्रतिशत अंशदान का अनुमान है, जबकि बकाया राशि ऋण घटक की होगी (चार्ट IV.10 और सारणी 4.8)।

4.22 2002-03 के दौरान, निवल बाजार उधारियां सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 70.7 प्रतिशत को वित्तपोषित करेंगी, जो कि 2001-02 के 69.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से मामूली-सी ज्यादा है। 2001-02 के 91,480 करोड़ रु. के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट में निवल बाजार उधारियां 95,859 करोड़ रु. की

चार्ट IV.10 : केंद्र की पूंजीगत प्राप्तियां : 2002-03 (ब.अ.)





**सारणी 4.8 : केंद्र की पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना**


मद	(करोड़ रुपये)		
	2002-03 (बअ)	2001-02 (संअ)	बअ की तुलना में संअ का विचलन प्रतिशत
1	2	3	4
वसूलियां	17,680	15,143	16.8
विनिवेश	12,000	5,000	140.0
बाजार उधारियां	95,859	91,480	4.8
अन्य	39,655	40,241	-1.5

रहीं। साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में अन्य देयताओं के माध्यम से वित्तपोषण में 26.1 प्रतिशत की तुलना में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी और बाहरी सहायता का अंशदान 1.6 प्रतिशत की तुलना में 0.6 प्रतिशत रहेगा।

**केंद्र सरकार के वित्त 2002-03 (अप्रैल-जून)**


4.23 वर्ष 2002-03 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान, केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा 39,560 करोड़ रु. था जो कि अप्रैल-जून 2001-02 (42,198 करोड़ रु.) के स्तर की तुलना में 6.3 प्रतिशत कम रहा और पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अनुमानित बजट घटक के 37.9 प्रतिशत की तुलना में 29.2 प्रतिशत (1,35,524 करोड़ रु.) रहा। अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान राजस्व घाटा 34,543 करोड़ रु. पर 6.5 प्रतिशत, ऊंचा था और इसने बजट अनुमानों (पिछले वर्ष इसी अवधि में 41.1 प्रतिशत, के 36.2 प्रतिशत भाग का निर्माण किया। अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान 15,671 करोड़ रु. का सकल प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की तुलना में 36.5 प्रतिशत कम था (चार्ट IV.11)।

**चार्ट IV.11 : केंद्र के घाटा संकेतक (अप्रैल - जून)**




4.24 अप्रैल-जून 2001-02 की तुलना में अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 29,864 करोड़ रु. रहीं जो 38.1 प्रतिशत अधिक हैं और अप्रैल-जून 2001-02 के 9.3 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमानों का 12.2 प्रतिशत भाग दर्शाती है। केंद्र का निवल कर-राजस्व अप्रैल-जून 2001-02 के 16,835 करोड़ रु. की तुलना में अप्रैल-जून 2002-03 में 24,154 करोड़ रु. (बजट अनुमानों का 14.0 प्रतिशत) रहा। करेतर राजस्व अप्रैल-जून 2001-02 के 4,788 करोड़ रु. की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 5,713 करोड़ रु. रहा। अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान कुल व्यय 16.3 प्रतिशत ज्यादा होकर 75,715 करोड़ रु. का रहा तथा यह बजटीय अनुमानों का 18.5 प्रतिशत रहा जो कि संबंधित अवधि के पांच वर्षीय चल औसत से निम्न था (चार्ट IV.12)। जहां अप्रैल-जून 2001-02 की तुलना में राजस्व व्यय 19.2 प्रतिशत ज्यादा रहा, वहीं पूंजीगत व्यय में 2.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

**चार्ट IV.12 : केंद्र की मासिक राजस्व प्राप्तियां (आर आर) और कुल व्यय (टी ई)**




**राज्य सरकार के वित्त**

4.25 2001-02 के संशोधित अनुमानों ने राज्य स्तर पर राजकोषीय स्थिति में निरंतर गिरावट दर्शायी है। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2000-01 की तुलना में 20.3 प्रतिशत बढ़कर 1,04,557 करोड़ रु. या सकल देशी उत्पाद का 4.5 प्रतिशत हो गया। 2001-02 में राजस्व घाटे में समग्र दृष्टि से 15.7 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह 2000-01 के 2.5 प्रतिशत से आंशिक रूप से बढ़कर 2001-02 में 2.6 प्रतिशत हो गया। सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा 2000-01 के 1.7 प्रतिशत से मामूली-सा बढ़कर 2001-02 में 1.8 प्रतिशत हो गया। सांकेतिक रूप में इसने पिछले वर्ष के मुकाबले 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई (परिशिष्ट सारणी IV.5 और चार्ट IV.13)।



4.26 2001-02 के राजकोषीय परिणामों ने राज्यों के राजस्व प्राप्तियों और व्यय में निरंतर असंतुलन को उजागर किया जिससे कि हाल के वर्षों में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के लिए किए गए साधारण प्रयास निष्प्रभावी हो गए। अतः 2001-02 में, जहां राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के करों (12.1 प्रतिशत) में और केंद्र से प्राप्त अनुदानों में वृद्धि (32.6 प्रतिशत) के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 13.0 प्रतिशत ज्यादा रहीं, वहीं राजस्व व्यय में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण इनकी वृद्धि पीछे रह गयी। 2001-02 में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि में ब्याज भुगतान का हिस्सा 32.3 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में 2001-02



में व्यय का अलग-अलग ब्यौरा यह दर्शाता है कि जहाँ विकासात्मक व्यय में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं गैर-विकासात्मक व्यय में बजटीय अनुमानों की तुलना में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट IV.14)।

4.27 2001-02 के संशोधित अनुमान समस्त मुख्य घाटा संकेतकों में बजट अनुमानों की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि प्राथमिक घाटे और उसके बाद राजस्व घाटे में देखी गई (सारणी 4.9)।

**सारणी 4.9 : 2001-02 के लिए राज्यों के घाटा संकेतक**  
(करोड़ ₹.)

	संशोधित अनुमान (संअ)	बजट अनुमान (बअ)	संअ के प्रति बअ का घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. सराघाटा	1,04,557 (4.5)	93,559 (3.8)	11.8
2. राजस्व घाटा	59,419 (2.6)	46,326 (1.9)	28.3
3. प्राथमिक घाटा	40,697 (1.8)	29,365 (1.2)	38.6

**टिप्पणी :** कोष्ठकों में आँकड़े सदेउ की प्रतिशतता इंगित करते हैं।  
**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

4.28 केंद्रीय करों में राज्यों के अंश में 8.2 प्रतिशत की कमी तथा राज्यों की राजस्व प्राप्तियों (कर और करेतर) में 6.8 प्रतिशत की कमी के कारण राजस्व में कमी 5.3 प्रतिशत तक रही।

4.29 राज्य अपने व्यय को बजट 2001-02 में निर्धारित सीमाओं तक नियंत्रित कर सके। वास्तव में, राजस्व व्यय और सकल व्यय उनके बजट में निर्धारित सीमाओं की अपेक्षा क्रमशः 0.6 प्रतिशत तथा 0.1 प्रतिशत कम रहे। तथापि, पूँजीगत व्यय अपने बजटीय स्तर से संशोधित अनुमानों में 2.0 प्रतिशत बढ़ गया।

4.30 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण विविध स्रोतों-जैसे केंद्र से ऋण, बाजार उधार, लघु बचतों पर ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राज्य भविष्य निधि आदि से किया गया। वित्तपोषण की प्रवृत्ति यह संकेत करती है कि लगभग आधे सकल राजकोषीय घाटे को 1990 के दशक के दौरान केंद्र से (लघु बचतों पर ऋण सहित) द्वारा वित्तपोषण किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे के कुल वित्तपोषण में बाजार उधारों का हिस्सा वर्ष 1995-96 में 18.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-00 में 13.8 प्रतिशत रह गया है परन्तु 2001-02 में बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.15 तथा सारणी 4.10)।

राज्य बजट : 2002-03

4.31 वर्ष 2002-03 के लिए बजट अनुमानों में अनेक राज्यों में संसाधन आधार को व्यापक बनाकर और व्यय पर नियंत्रण करके

सारणी : 4.10 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(प्रतिशत)


मद	केंद्र से ऋण	बाजार उधार	राज्य भविष्य निधियाँ आदि	एनएसएसएफ को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ	अन्य*
1	2	3	4	5	6
1990-91	53.1	13.6	16.3	-	16.9
1991-92	49.6	17.5	15.4	-	17.5
1992-93	42.7	16.8	17.3	-	23.2
1993-94	46.3	17.6	21.0	-	15.1
1994-95	53.3	14.7	17.3	-	14.7
1995-96	47.1	18.7	15.6	-	18.6
1996-97	47.1	17.5	14.4	-	21.0
1997-98	53.6	16.5	14.1	-	15.9
1998-99	41.8	14.1	16.1	-	28.0
1999-00	13.6	13.8	19.5	28.9	24.2
2000-01	9.4	14.4	13.8	36.4	26.0
2001-02 (सं. अ.)	12.7	15.2	10.5	34.2	27.4
2002-03 (ब. अ.)	18.9	11.9	10.3	38.1	20.7

\* वित्तीय संस्थाओं, प्रारक्षित निधियाँ, जमा और अग्रिम आदि से ऋण शामिल हैं।

**नोट** : लेखांकन विधि में हुए परिवर्तन के कारण केंद्र से ऋणों में 1999-2000 और उस के बाद से लघु बचत संग्रहणों में राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है जिसे कालम 5 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

**स्रोत** : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट IV.15 : राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटों का वित्तपोषण



राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को सघन बनाने के प्रयास करने के प्रस्ताव किये। तदनुसार, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2001-02 के संशोधित अनुमानों के 4.5 प्रतिशत से कम होकर बजट के सकल देशी उत्पाद का 3.8 प्रतिशत रह गया। राजस्व घाटा 2001-02 के 2.6 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 में सदेउ के 1.8 प्रतिशत पर कम बजट किया गया है। बजट में राज्यों के राजस्व प्राप्तियों में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस वृद्धि का लगभग 70.0 प्रतिशत राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जानेवाला


है जिसमें कर और करेतर प्राप्तिया का हिस्सा मिलाकर कुल कर-प्राप्तियों में, पिछले वर्ष के 11.1 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 के दौरान 13.8 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि अनुमानित है। राज्यों का कर-सदेउ अनुपात जो 1990 के दशक में लगभग 8.0 के आसपास बना रहा, वह 2001-02 के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में बढ़कर बजट में 8.3 प्रतिशत हो जाना अनुमानित हो (सारणी 4.11)। करेतर अंश में राज्यों का अपना करेतर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2001-02 के 0.5 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-03 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि

सारणी 4.11 : राज्यों सरकारों का कुल कर राजस्व और कर / सदेउ अनुपात

वर्ष	कर राजस्व (करोड़ रु.)	टैक्स अनुपात/ सदेउ अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3
1990-91	44,586	7.8
1991-92	52,604	8.1
1992-93	60,448	8.1
1993-94	68,819	8.0
1994-95	80,619	8.0
1995-96	92,913	7.8
1996-97	1,06,139	7.8
1997-98	1,21,641	8.0
1998-99	1,28,416	7.4
1999-00	1,46,703	7.6
2000-01	1,68,164	8.1
2001-02 संअ	1,86,779	8.1
2002-03 बअ	2,12,535	8.3


स्रोत : राज्य सरकारों के बजट अनुमान

दर्शायेगा। केंद्र से अनुदानों में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार 2002-03 में राज्यों के अपने राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का 54.0 प्रतिशत और कुल व्यय का 44.7 प्रतिशत वित्तपोषित किया जायेगा जबकि 2001-02 के संशोधित अनुमानों में ये अंश क्रमशः 50.1 प्रतिशत और 41.4 प्रतिशत थे (चार्ट IV.16)।




4.32 वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यों के कुल व्यय की वृद्धि दर व्यय कम करने के राज्यों द्वारा लिये गये प्रस्तावित प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हुए 2001-02 के लिए संशोधित अनुमानों के 15.4 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। विकासात्मक व्यय के मामले में बजटीय गिरावट सुस्पष्ट है और जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का भाग 2001-02 के 58.8 प्रतिशत से कम करके 2002-03 में 56.7 प्रतिशत करने का बजट में प्रावधान किया गया था (चार्ट IV.17)।


4.33 जहां राशि की दृष्टि से कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का संबंधित भाग हाल के वर्षों में गैर-विकासात्मक व्यय की तुलना में उच्चतर रहा है, वहीं गैर-विकासात्मक व्यय 1990 के दशक में तेजी से बढ़ता रहा है। गैर-विकासात्मक व्यय में 19.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि विकासात्मक व्यय में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का तुलनात्मक अंश गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसके अलावा, कुल व्यय में सामाजिक तथा आर्थिक दोनों सेवाओं पर व्यय का भाग क्रमशः 2001-02 के संशोधित अनुमानों के 32.3 तथा 26.4 प्रतिशत से घटकर 2002-03 के दौरान 31.1 प्रतिशत तथा 25.6 प्रतिशत रहने का बजट में प्रावधान किया (चार्ट IV.18)।



4.34 गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय तथा पेन्शन पर व्यय के कारण है। इन तीनों मर्दों के व्यय को मिलाकर 2001-02 के लिए संशोधित अनुमानों में 36.5 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय का 37.7 प्रतिशत के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अकेला ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय के पांचवें भाग के बराबर है। ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्तियों के अनुपात ने 1990 के दशक से देखी गयी उठान की प्रवृत्ति को बनाये रखे हुए है और यह ऋण चुकौती द्वारा



राजस्व के पूर्वक्रय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का संकेतक है (चार्ट IV.19)।



2002-03 के राज्य बजटों में प्रस्तावित नीतिगत पहलें

4.35 कई राज्यों ने वर्ष के बजट प्रस्तावों में अपने वित्त में सुधार लाने के लिए पहलें की हैं। राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए किए जानेवाले उपायों में शामिल हैं - कर का आधार बढ़ाना, बेहतर कर - अनुपालन, मूल्यवर्धित कर (वीएटी) लागू करने की तैयारी और मुख्यतः बिजली, जल, परिवहन आदि में उपयोगकर्ता प्रभारों को युक्तिसंगत करना। ऐसी परिकल्पना की गई है कि नई भर्ती/ नये पदों के निर्माण पर प्रतिबंध, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि पर रोक, श्रमशक्ति का पुनर्नियोजन और संसाधन आबंटन में प्राथमिकता निर्धारण पर जोर जैसे आर्थिक उपायों द्वारा राजस्व व्यय विशेषतः योजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखा जाएगा।

4.36 राज्य बजटों में प्रस्तावित संस्थागत सुधारों का लक्ष्य है अनिवार्य रूप से राजकोषीय समेकन करना। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य ने राजकोषीय जवाबदेही विधान लागू करने का अपना इरादा स्पष्ट किया है। महाराष्ट्र ने एक स्वतंत्र राजकोषीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो राजकोषीय जवाबदेही विधान के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा और विधानमण्डल और आम जनता को राज्य के वित्त की स्थिति के बारे में सूचना देगा। तमिलनाडु ने कर-सुधार और राजस्व संवर्धन आयोग का गठन करने का निश्चय किया है। कर्नाटक द्वारा गठित कर सुधार आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4.37 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में पहल/ उपायों में शामिल हैं - राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की व्यापक समीक्षा करना, राज्य विद्युत विनियामक आयोग

(एसईआरसी) की स्थापना करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नीतिपरक लेख तैयार करना। कई राज्यों ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद और प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठान बनाने के लिए उनकी पुनर्संरचना करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए बोर्ड का गठन किया है ताकि जहां आवश्यक हो, वहां उपक्रम के अधिकार कम किये जा सकें या उसे बंद किया जा सके। कई राज्यों ने विद्युत बोर्डों की वित्तीय क्षमता बनाए रखने के लिए बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि अन्य राज्यों ने शीघ्र ही यह कार्रवाई पूर्ण करने का अपना इरादा व्यक्त किया है।

4.38 क्षेत्रीय सुधारों का लक्ष्य है मूलभूत सुविधा क्षेत्रों को मजबूत करना क्योंकि उसमें वृद्धि और राजस्व निर्माण की तुलनात्मक रूप से अधिक संभावना है। कई राज्यों ने आइटी पार्क/ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्यों ने ऐसा भी प्रस्ताव रखा है / उपाय किए हैं ताकि मूलभूत सुविधा क्षेत्र में निजी संसाधन लगाए जाने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी पहल में शामिल है - बागबानी, पुष्पोत्पादन, पशुपालन, फार्म मशीनीकरण और बंजर भूमि विकास में सुधार।

4.39 राज्यों के प्रयासों की अनुपूरक व्यवस्था के रूप में केन्द्र ने भी राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार सघन करने के लिए उपाय किए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने 'राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा' (2000-01 से 2004-05) बनाई है। तदनुसार, राज्यों को निगरानीक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने में बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि (2000-01 से 2004-05) में 10,607 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन निधि निश्चित की गई है। कई राज्यों ने केन्द्र सरकार के परामर्श से मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम बनाए हैं। राज्यों के मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में राजकोषीय समेकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार, बिजली क्षेत्र में सुधार और राजकोषीय पारदर्शिता जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।

4.40 वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में राज्यों के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी), शहर सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआइएफ) और ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 12,300 करोड़ रुपये की सुधार सम्बद्ध सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिए 2,500 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव है जो वृद्धि और विकास में बाधा डाल रहे हों।


राज्य सरकारों के बाजार उधार

4.41 राजकोषीय वर्ष 2001-02 के लिए समस्त राज्यों के लिए निर्धारित सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः 19,030 करोड़

रुपये और 17,583 करोड़ रुपये के थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 43.1 प्रतिशत और 36.5 प्रतिशत अधिक थे। राज्य सरकारों ने 2001-02 के दौरान 18,707 करोड़ रुपये की राशि जुटायी। यह राशि परंपरागत श्रृंखला पद्धति, खुला आधार पद्धति के साथ-साथ नीलामियों के माध्यम से जुटाई थी (विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय XI देखें)।

4.42 राज्य सरकारों के बाजार उधारों पर ब्याज दर 1996-97 से गिरती रही है (चार्ट VI.20)। राज्य सरकारों के बाजार उधारों पर ब्याज दर 2001-01 की 10.50 प्रतिशत और 12.00 प्रतिशत की तुलना में 2001-02 में 7.80 प्रतिशत और 10.53 प्रतिशत के बीच रही।

4.43 जैसा कि केंद्र सरकार के मामले में देखा गया है सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की तुलना में बाजार उधार कम लागत का विकल्प साबित हुआ है। वर्ष 2001-02 के



दौरान राज्यों के बाजार उधारों पर भारांकित औसत ब्याज दर केंद्र से (योजना) ऋणों पर 12.0 प्रतिशत तथा लघु बचतों पर 11.0 प्रतिशत की तुलना में 9.2 प्रतिशत है। वर्ष 2002-03 (10 अगस्त 2002 तक) के दौरान बाजार उधारों पर ब्याज दर केंद्र से ऋणों पर 11.5 प्रतिशत, लघु बचतों पर 10.5 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत के दायरे में बनी रही है।


4.44 राजकोषीय वर्ष 2002-03 के लिए राज्यों के लिए निर्धारित सकल और निवल बाजार उधार राशि अनंतिम रूप से क्रमशः 13,814 करोड़ रुपये और 12,024 करोड़ रुपये थी। 26 राज्यों ने खुले निर्गमों के जरिए 7.8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3,974 करोड़ रुपयों की राशि जुटायी। दूसरी ओर 6 राज्यों ने 7.8 से 8.0 प्रतिशत

ब्याज दर पर नीलामी के जरिए 1,269 करोड़ रुपये की राशि जुटायी। इस प्रकार, राज्यों ने अब तक (10 अगस्त 2002 तक) पूर्ण वर्ष के लिए 5,243 करोड़ रुपये की राशि जुटायी जो सकल बाजार उधारों का 38.0 प्रतिशत बनाती है।

### केन्द्र और राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति

4.45 राजस्व प्राप्तियों में अंकित गिरावट केन्द्र और राज्य के संयुक्त वित्त के 2001-02 के संशोधित अनुमानों में सांकेतिक अर्थ में तथा सकल देशी उत्पाद के अनुसार भी सभी महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों में हुई ऊर्ध्वमुखी वृद्धि में परिलक्षित हुई (चार्ट IV.21 और सारणी 4.12)।

4.46 वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान) का संयुक्त सकल व्यय बजट अनुमानों से मामूली-सा कम है। राजस्व व्यय 0.5 प्रतिशत कम है, जबकि पूंजीगत व्यय में 3.3 प्रतिशत की कमी हुई है। यह कटौती विकासेतर व्यय (2.7 प्रतिशत) में की गयी



जबकि विकासात्मक व्यय 0.6 प्रतिशत अधिक था (चार्ट IV.22 और परिशिष्ट सारणी IV.6)।

4.47 वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों में संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में बजट स्तर से 6.4 प्रतिशत की कमी आई। संयुक्त कर-राजस्व में 9.9 प्रतिशत की गिरावट और करेतर राजस्व में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले दशक के आरंभ से संयुक्त कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात में गिरावट का कारण है अप्रत्यक्ष करों में आई गिरावट (चार्ट IV.23)।

सारणी 4.12 : केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटों की मात्रा\*

वर्ष	करोड़ रुपये			सकल देशी उत्पाद के प्रति प्रतिशत		
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	53,580	23,871	28,585	9.4	4.2	5.0
1991-92	45,850	21,912	14,858	7.0	3.4	2.3
1992-93	52,404	23,688	15,936	7.0	3.2	2.1
1993-94	70,952	36,529	27,938	8.3	4.3	3.3
1994-95	71,639	37,185	19,313	7.1	3.7	1.9
1995-96	77,671	37,932	18,598	6.5	3.2	1.6
1996-97	87,244	48,768	17,156	6.4	3.6	1.3
1997-98	1,10,743	62,782	32,466	7.3	4.1	2.1
1998-99	1,57,053	1,10,618	63,956	9.0	6.4	3.7
1999-2000	1,84,826	1,21,393	74,375	9.6	6.3	3.9
2000-01 #	1,97,252	1,36,612	77,145	9.4	6.5	3.7
2001-02(संअ) #	2,26,678	1,51,152	83,323	9.9	6.6	3.6
2002-03(बअ) #@	2,21,987	1,41,489	60,222	8.7	5.5	2.4

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

\* संयुक्त घाटा संकेतकों की गणना केन्द्र और राज्यों के बीच अंतर सरकारी लेनदेनों की निवल राशि निकालने के बाद की गयी है। इसलिए ये आंकड़ें केन्द्र और राज्यों के लिए अलग से निकाले गए कुल घाटे के समान नहीं होंगे।

# राज्य सरकारों के आंकड़ें अनंतिम हैं (देखें परिशिष्ट सारणी IV.5 की टिप्पणियां)।



@ अंतर्निहित सांकेतिक सकल देशी उत्पाद के आधार पर निकाले गए जो 2002-03 के केन्द्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटा/सकल देशी उत्पाद के 5.3 प्रतिशत के अनुपात के बजट अनुमान से कम है।

4.48 वर्ष 2002-03 के दौरान बजट के अनुसार सकल देशी उत्पाद के अर्थ में संयुक्त घाटा संकेतकों में कमी आयेगी। वर्ष 2002-03 के बजट के अनुसार संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 2,21,987 करोड़ रुपये का होगा जो सकल देशी उत्पाद के 8.7 प्रतिशत बैठता है, जबकि 2001-02 के संशोधित अनुमानों में यह 9.9 प्रतिशत था। इसी तरह से 1,41,489 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा सकल देशी उत्पाद के 5.5 प्रतिशत है, जबकि 2001-02 (संशोधित अनुमान) में यह 6.6 प्रतिशत था। सकल प्राथमिक घाटा (जीपीडी) बजट के अनुसार 60,222 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद के 2.4 प्रतिशत) है, जो 2001-02 (संशोधित अनुमान) में 2001-02 के संशोधित अनुमान के 83,323 करोड़ रुपये (सकल



देशी उत्पाद के 3.6 प्रतिशत) से कम है। ऐसी परिकल्पना है कि सकल व्यय (8.9 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में (15.2 प्रतिशत) अधिक वृद्धि होने से घाटा संकेतकों में कमी आयेगी।

4.49 वर्ष 2002-03 के बजट अनुमानों में सकल व्यय 7,31,618 करोड़ रुपये रखा गया है जो 2001-02 के 6,71,561 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 8.9 प्रतिशत अधिक है। बजट के अनुसार राजस्व व्यय में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि पूंजीगत व्यय में 5.6 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से वृद्धि होगी। बजट के अनुसार 2002-03 में सकल व्यय में विकासात्मक

चार्ट IV.22 : केन्द्र और राज्यों के व्यय




चार्ट IV.23 : केन्द्र और राज्यों के कर राजस्व और राजस्व और राजस्व प्राप्तियां



व्यय 50.0 प्रतिशत रखा गया है जो 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 51.2 प्रतिशत और 1990-91 के 60.3 प्रतिशत से कम है। विकासेतर व्यय (अन्य सहित) के अंश में तदनुसार वृद्धि होगी। विकासेतर व्यय के 12.0 प्रतिशत की तुलना में विकासात्मक व्यय में 6.5 प्रतिशत की कम वृद्धि होने के परिणामस्वरूप व्यय में संरचनात्मक परिवर्तन आया (सारणी 4.13)।

4.50 बजट के अनुसार सामाजिक क्षेत्र पर 1,98,239 करोड़ रुपये के कुल व्यय में 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 15.7 प्रतिशत की तुलना में 6.0 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से वृद्धि होगी। सकल देशी उत्पाद की दृष्टि से बजट में सामाजिक व्यय 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 8.1 प्रतिशत से और गिरकर 7.8 प्रतिशत रह जायेगा (चार्ट IV.24)।



4.51 संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे का 99 प्रतिशत से ज्यादा का वित्त-पोषण घरेलू स्रोतों से किया जायेगा और शेष का वित्तपोषण बाह्य स्रोतों से होगा।

4.52 घरेलू स्रोतों से वित्तपोषण की संरचना बाजार उधारों की


ओर मुड़ रही है। बाजार उधारों का हिस्सा 2002-03 (ब.अ.) में 48.4 प्रतिशत तथा 2001-02 (सं.अ.) में 47.3 प्रतिशत थी। परिणामतः

सारणी 4.13 : केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण

	2002-03 (बअ)	2001-02 (संअ)	संअ से बअ में घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
I. कुल प्राप्तियां (1+2)	7,30,302	6,65,462	64,840	9.7
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	4,85,864	4,21,630	64,234	15.2
i) कर-प्राप्तियां	3,85,500	3,29,127	56,373	17.1
ii) करेतर प्राप्तियां	1,00,364	92,503	7,861	8.5
2. पूंजीगत प्राप्तियां	2,44,438	2,43,832	606	0.2
II. कुल वितरण (1+2)	7,31,618	6,71,561	60,057	8.9
1. विकासात्मक व्यय	3,66,156	3,43,834	22,322	6.5
2. विकासेतर व्यय (अन्यों सहित)	3,54,956	3,16,919	38,037	12.0



अन्य वित्तीय मदों का हिस्सा (जिसमें लघु बचत, भविष्य निधि, जमा प्रारक्षित निधि तथा अन्य आदि शामिल हैं) 2001-02 (सं.अ.) में घटकर 51.8 प्रतिशत और 2002-03 (ब.अ) में 51.3 प्रतिशत रह गया है। जिसमें से, लघु बचत और भविष्यनिधि दोनों मिलकर 2002-03 के दौरान संयुक्त सकल राजकोषीय घाटों के 27.1 प्रतिशत वित्तपोषित करेंगे (चार्ट IV.25)



### घरेलू लोक ऋण

केन्द्र सरकार की ऋण स्थिति

4.53 केन्द्र सरकार का बकाया घरेलू ऋण मार्च 2002 की समाप्ति पर बढ़कर सदेउ का 58.4 प्रतिशत हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 56.4 प्रतिशत था। 1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधार प्रक्रिया के प्रारम्भिक समय में लोक ऋण की (निर्वहनीयता) की स्थिति को सुधारने में काफी प्रगति हुई थी। यह ऋण-सदेउ अनुपात में काफी सुधार से परिलक्षित हुआ जो 1991-92 के 54.3 प्रतिशत से निरंतर गिरकर 1996-97 में 49.4 प्रतिशत रह गया। तदनंतर, बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप सरकार का उच्चतर उधार लेना अनिवार्य हो गया तथा केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं 1996-97 के 6,75,676 करोड़ रुपए से प्रतिवर्ष औसत 14.4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2002-03 में 15,12,768 करोड़ रुपए की हो गयीं। इसी प्रकार, बकाया ऋण में उच्च वृद्धि के फलस्वरूप भी ब्याज भुगतानों में तीव्र वृद्धि हुई जो इसी अवधि के दौरान 12.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 59,478 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,17,390 करोड़ रुपए के हो गये (सारणी 4.14 तथा चार्ट IV.26 और परिशिष्ट सारणी IV.27)।


### सारणी 4.14 : केन्द्र की कुल देयताएं और ब्याज भुगतान

(करोड़ रु.)

वर्ष	कुल देयताएं	ब्याज भुगतान
1	2	3
1990-91	3,14,558	21,498
1991-92	3,54,662	26,596
1992-93	4,01,924	31,075
1993-94	4,77,968	36,741
1994-95	5,38,611	44,060
1995-96	6,06,232	50,045
1996-97	6,75,676	59,478
1997-98	7,78,294	65,637
1998-99	8,91,806	77,882
1999-00	10,21,029	90,249
2000-01	11,77,026	99,314
2001-02 (सं.अ)	13,42,268	1,07,257
2002-03 (ब.अ)	15,12,768	1,17,390

4.54 1991-92 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात घरेलू ऋण के स्तर और संरचना में काफी परिवर्तन हुए हैं। आंतरिक ऋण का हिस्सा, जिसमें बाजार उधार सम्मिलित है, मार्च 1992 के अंत के 54.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2002 के अंत में 71.3 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान लोक लेखाओं पर देयताओं का हिस्सा, जिसमें लघु बचत, भविष्यनिधि आदि शामिल है, 45.6 प्रतिशत से घटकर 28.7 प्रतिशत हो गया। लोक लेखा देयताओं की उच्च नियंत्रित दरें सरकारी उधार की उच्च औसत लागत का मुख्य कारण हैं। मार्च 2002 में लोक लेखा के अधीन अधिकांश लिखतों पर ब्याज दर में 50 आधार बिन्दु तक निम्नमुखी संशोधन किया गया।

### चार्ट IV.26 : केन्द्र की कुल देयताएं और ब्याज भुगतान में वृद्धि



**सारणी 4.15 : संयुक्त देयताएं और ऋण-सदेउ अनुपात**

वर्ष	कुल देयताएं			ऋण-सदेउ अनुपात		
	केन्द्र	राज्य	संयुक्त	केन्द्र	राज्य	संयुक्त
	करोड़ रुपए			(प्रतिशत में)		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,10,289	3,50,957	55.3	19.4	61.7
2000-01	11,77,026	4,97,865	13,96,310	56.4	23.8	66.9
2001-02 (संअ)	13,42,268	5,88,177	16,07,704	58.4	25.6	69.9

**राज्य सरकारों की ऋण स्थिति**

4.55 राज्यों के ऋण-सदेउ अनुपात जो 1991-97 की अवधि के दौरान कम हो गये थे, बाद के वर्षों में इसमें निरंतर वृद्धि होती रही है तथा मार्च 2002 के अंत में ये बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गये हैं। हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन तथा सुधारों पर काफी ध्यान दिया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राज्य सरकारों को ब्याज भुगतान और राजस्व घाटा अनुपात 18 प्रतिशत के भीतर रखने का प्रयास करना चाहिए। कई राज्यों ने अपने बजट में संचित शोधन निधि, गारंटी शोधन निधि, गारंटियों पर सांविधिक सीमाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्विन्यास आदि जैसे राजकोषीय सुधारों के लिए उपाय प्रस्तावित किए हैं।

**संयुक्त ऋण**

4.56 केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त बकाया ऋण 2001-02 के लिए संशोधित सदेउ का 69.9 प्रतिशत होना अनुमानित है, जबकि यह मार्च 2001 के अंत में 66.9 प्रतिशत तथा मार्च 1991 के अंत में 61.7 प्रतिशत था (सारणी 4.15)।

**सरकार की आकस्मिक देयताएं/गारंटियां**

4.57 केन्द्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में नाममात्र की वृद्धि हुई तथा यह मार्च 1993 के अंत में 58,088 करोड़ रुपए की थी जो सदेउ का 7.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 86,862 करोड़ रुपए हो गई जो सदेउ का 4.2 प्रतिशत है। राज्य सरकार की बकाया गारंटी में तीव्र वृद्धि हुई तथा यह मार्च 1993 के अंत के 42,515 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 1,68,712 करोड़ रुपए की हो गयी। केन्द्र सरकार के विपरीत राज्य सरकार की बकाया गारंटी मार्च 1993 के अंत के सदेउ के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में सदेउ का

8.1 प्रतिशत हो गई जो उच्चतर स्तर को व्यक्त करती है (सारणी 4.16)।

4.58 स्पष्ट आकस्मिक देयताओं के अलावा, राज्य सरकारें राज्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को धन उगाहने के प्रयोजन से सक्षम बनाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों का लैटर ऑफ कम्फर्ट (आश्वासन पत्र) भी जारी करती है। ये अन्तर्निहित गारंटियां गारंटियों के वर्तमान आकलन में सम्मिलित नहीं हैं। यद्यपि राज्य सरकार गारंटी संबंधी तकनीकी समिति (1999) की सिफारिशों के अनुसरण में कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में अपने बजट दस्तावेज के सन्निहित गारंटियों के ब्यौरे प्रकट करना शुरू कर दिये हैं। कई राज्यों ने गारंटियों पर अधिकतम सीमा लगाने की पहल की है। गारंटियों पर सांविधिक अधिकतम सीमा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल द्वारा निर्धारित की गई है। राजस्थान और असम राज्यों ने गारंटियों पर प्रशासनिक सीमाएं लगायी हैं।

**सारणी 4.16: बकाया सरकारी गारंटियां**

वर्ष	केन्द्र		राज्य		कुल	
	राशि का % सदेउ	राशि का % सदेउ	राशि का % सदेउ	राशि का % सदेउ	राशि का % सदेउ	राशि का % सदेउ
1	2	3	4	5	6	7
1993	58,088	7.8	42,515	5.7	1,00,603	13.4
1994	62,834	7.3	48,866	5.7	1,11,700	13.0
1995	62,468	6.2	48,479	4.8	1,10,947	11.0
1996	65,573	5.5	52,631	4.4	1,18,204	9.6
1997	69,748	5.1	63,409	4.6	1,33,157	9.7
1998	73,877	4.9	73,751	4.8	1,47,628	9.7
1999	74,606	4.3	97,454	5.6	1,72,060	9.9
2000	83,954	4.4	1,32,029	6.8	2,15,983	11.2
2001	86,862	4.2	1,68,712	8.1	2,55,574	12.2

**स्रोत 1.** केन्द्र की गारंटियों से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार के वित्त लेखों तथा बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए हैं।

**2.** राज्यों की गारंटी के आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े 17 राज्यों से सम्बन्धित है।